प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

**अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग--1 लखनऊ, दिनांक 24 फरवरी, 2016**

विषय - वर्ष 2012-13 में 50वीं इम्पावर्ड कमेटी की बैठक में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद-रामपुर में स्वीकृत 180 आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण में से 90 आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण के लिये केन्द्रांश की प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय का शासनादेश संख्या-2287/52-1-13-06(एम०एस०डी०पी०)/11, दिनांक 26.06.2013 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद-रामपुर के 180 आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण करने हेतु अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या- 3/19(13)/12-पी0पी0-I, दिनांक 06.11.2012 द्वारा कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू० 667.80 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू0 3,33,90,000/-(रू0 तीन करोड़ तैंतीस लाख नब्बे हजार मात्र) की 50 प्रतिशत धनराशि रू० 1,66,95,000/-(रू० एक करोड़ छासठ लाख पनचान्बे हजार मात्र) 90 आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु अवमुक्त की गयी थी ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार सन्दर्भित पत्र दिनांक 06.11.12 के माध्यम से उक्त निर्माण हेतु अवमुक्त प्रथम किश्त की धनराशि का अवशेष 50 प्रतिशत रू० 1,66,95,000/-(रू० एक करोड़ छासठ लाख पनचान्बे हजार मात्र) की धनराशि 90 अवशेष आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राविधानित बजट रू0 4000.00 लाख के सापेक्ष उपलब्ध बजट रू0 3232.98 लाख में से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

http://shasanadesh.up.nic.in

**(रू0 लाख में)**

| क्र0 | जनपद | योजना | इकाई | इकाई लागत | कुल अनुमोदित केन्द्रांश | कुल राज्यांश | कुल लागत | अवमुक्त प्रथम किश्त | | अवमुक्त कुल धनराशि (के0+रा0) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | केन्द्रांश | राज्यांश | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | रामपुर | आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण | 90 | 3.71 | 667.80 | 0.00 | 667.80 | 166.95 | 0.00 | 166.95 |
| | | **योग=** | **90** | **3.71** | **667.80** | **0.00** | **667.80** | **166.95** | **0.00** | **166.95** |

1- प्रत्येक यूनिट के सम्बन्ध में भूमि की निर्विवाद रूप से उपलब्धता सुनिश्चित होने के उपरान्त ही उसके लिये निर्दिष्ट धनराशि की जायेगी । अवमुक्त की जा रही धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा । इसे सक्षम स्तर की स्वीकृति, यदि वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जाय। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा । यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इन आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए किसी दूसरे मद से धनराशि का आहरण न किया गया हो। केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित इस योजना में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा ।

2- आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ नामित है। अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा **निदेशक, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को अवमुक्त धनराशि से 03 माह में पूरा कर लिया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है, तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ एवं निदेशक, **कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** के मध्य इस आशय का एम0ओ0यू0 (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) भी हस्ताक्षरित किया जायेगा।

3- अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। इसे सक्षम स्तर की स्वीकृति, यदि वित्तीय हस्त-पुस्तिका तथा बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा।

4- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य-मदों पर योजना के मार्ग-निर्देशों तथा समय-02 पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार की गाईड लाइन्स के अनुरूप कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- धनराशि योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-2 पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवश्यकतानुसार आहरित कर नियमानुसार व्यय की जायेगी।

6- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये गुणवत्तापूर्ण निर्माण किया जायेगा। निर्माण कार्य में किसी तरह की अनियमितता पाये जाने पर प्रश्नगत आंगनवाड़ी योजना से सम्बन्धित सभी अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

7- निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

8- आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण प्रचलित कुर्सी क्षेत्रफल 47.20 वर्ग मीटर के मानकीकरण के अनुसार किया जायेगा अर्थात् केन्द्रों की डिजाइन वही होगी जो राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित है ।

9- आहरित धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। धनराशि का आहरण किये जाने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इस कार्य के लिए किसी अन्य मद से धनराशि का आहरण न किया गया हो।

10- अवमुक्त धनराशि को व्यय किये जाने के उपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण-कार्यों के फोटोग्राफ्स की दो-02 प्रतियां जनपदीय अधिकारियों द्वारा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

11- मल्टी सेक्टोरल योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि के लिये अनुदान ग्राही (Grantee) द्वारा मेन्टेन किया जायेगा तथा प्राप्त धनराशि के सापेक्ष यदि कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र० के माध्यम से राजकोष मे जमा करायी जायेगी।

12- निर्माण कार्य के पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी सस्था द्वारा उसके हस्तान्तरण की कार्यवाही जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा योजना से सम्बन्धित विभाग के अधिकारी के माध्यम से की जायेगी ।

13- जिलाधिकारी द्वारा उक्त निर्माण हेतु निर्विवाद भूमि की उपलब्धता व निर्माण कार्य उपयुक्त स्थान पर ही हो रहा है, के सम्बन्ध में आश्वस्त हो लिया जायेगा तथा प्रथम किश्त की धनराशि के सापेक्ष संतोषजनक व गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण होने के सम्बन्ध में पूर्णत: पुष्टि कर ली जायेगी ।

http://shasanadesh.up.nic.in

14- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण स्थल पर एक स्थायी बोर्ड भी बनाया जायेगा, जिस पर योजना के स्वीकृति की तिथि, वित्तीय-स्रोत, योजना की लागत, कार्य पूर्ण होने की तिथि तथा लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि अंकित होगी।

15- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष् 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के **लेखा शीर्षक"4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय -02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय -01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0104-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टीसेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना (केन्द्रांश-75/रा0-25, के0+रा०)-24 वृहद निर्माण कार्य"** के नामें डाला जायेगा।

16- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30-03-2015 में निहित प्राविधानों के अनुसार जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या-543(1)/बावन-1-2016तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- निदेशक, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।

5- प्रमुख सचिव, महिला कल्याण, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु स्थलों की सूची कार्यदायी संस्था को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को अपने स्तर से निर्देशित करने के साथ ही प्रश्नगत केन्द्रों का गुणवत्तापूर्ण निर्माण भी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

6- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ।

7- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी, रामपुर को इस आशय से प्रेषित कि निर्मित होने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों के स्थलों की सूची कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के साथ ही समयान्तर्गत गुणवत्तापूर्ण निर्माण भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।



http://shikshadesh.up.nic.in

8- निदेशक**, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** को इस आशय से प्रेषित कि निर्मित होने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों के स्थलों की सूची प्राप्त कर गुणवत्तायुक्त निर्माण कार्य समयान्तर्गत पूर्ण करने का कष्ट करें।

9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

10- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, निदेशालय, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को इस आश्य से प्रेषित कि प्रश्नगत शासनादेश को अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

11- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

12- निजी सचिव, सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को सचिव महोदय के अवगतार्थ।

13- वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1 को 03 स्वच्छ प्रति सहित/वित्त-ई-11।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in